रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032022-233976
CG-DL-E-07032022-233976

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 981] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2022/फाल्गुन 16, 1943
No. 981] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2022/PHALGUNA 16, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2022

सं. 58 / 2015–2020

विषय : कतिपय स्क्रिप आधारित स्कीमों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की समय–सीमा को बढ़ाना।

का.आ. 1012(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति 2015–20 में अधिसूचना संख्या 30 दिनांक 01.09.2020 और अधिसूचना संख्या 53 दिनांक 01.02.2022 के द्वारा यथा अधिसूचित निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. दिनांक 01.09.2020 की अधिसूचना 30 के द्वारा यथा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 3.04 क में संशोधन:–

वर्तमान पैरा 3.04 क	संशोधित पैरा 3.04 क
भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के तहत किसी आईईसी धारक को प्रदान किया जा सकने वाला कुल प्रतिफल 01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि (शिपिंग बिल (बिलों) की मान्य निर्यात आदेश (एलईओ) तारीख पर आधारित अवधि) में किए गए निर्यात पर प्रति आईईसी 2 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी। कोई आईईसी धारक जिसने 01.09.2019 से 31.08.2020 की अवधि के दौरान मान्य निर्यात आदेश की तिथि के साथ कोई निर्यात नहीं किया	भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के तहत किसी आईईसी धारक को प्रदान किया जा सकने वाला कुल प्रतिफल 01.09.2020 से 31.12.2020 की अवधि (शिपिंग बिल (बिलों) की मान्य निर्यात आदेश (एलईओ) तारीख पर आधारित अवधि) में किए गए निर्यात पर प्रति आईईसी 2 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी। कोई आईईसी धारक जिसने 01.09.2019 से 31.08.2020 की अवधि के दौरान मान्य निर्यात आदेश की तिथि के साथ कोई निर्यात नहीं किया

है अथवा दिनांक 01.09.2020 को या इसके बाद कोई नया आईईसी प्राप्त किया है, दिनांक 01.09.2020 से किए गए निर्यात के लिए एमइआईएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का कोई दावा प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होगा। उपर्युक्त अधिकतम सीमा आगे पुनः संशोधित कर कम किए जाने के अधीन हो सकती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अवधि (01.09.2020 से 31.12.2020) हेतु स्कीम के अंतर्गत कुल दावा राशि सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन राशि जो 5000 करोड़ रुपये है, से अधिक न हो।	है अथवा दिनांक 01.09.2020 को या इसके बाद कोई नया आईईसी प्राप्त किया है, दिनांक 01.09.2020 से किए गए निर्यात के लिए एमइआईएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का कोई दावा प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होगा।

2. विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 3.13क में संशोधनः–

<table>
<tr><th>वर्तमान पैरा 3.13 क</th><th>संशोधित पैरा 3.13 क</th></tr>
<tr><td rowspan="2">स्क्रिप आधारित दावों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के संबंध में, प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में मौजूदा निर्धारित प्रावधानों के अधिक्रमण में, निम्नलिखित स्कीमों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को संशोधित कर 28 फरवरी, 2022 कर दिया गया है अर्थातः–

i. एमईआईएस के लिए (01.07.2018 से 31.03.2019, 01.04.2019 से 31.03.2020 और 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिए)

ii. एसईआईएस के लिए (वित्त वर्ष 2018–2019 और वित्त वर्ष 2019–20 में किए गए सेवा निर्यातों के लिए)

iii. 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के लिए (एफटीपी के पैरा 3.25 के तहत – केवल 01.01.2020 से 31.03.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिए)

iv. आरओएससीटीएल के लिए (07.03.2019 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यातों के लिए) और

v. आरओएसएल के लिए (06.03.2019 तक किए गए निर्यातों के लिए जिसके लिए स्क्रिप तंत्र के अधीन अब तक दावों का संवितरण नहीं किया गया है)

28.02.2022 के पश्चात्, किसी और आवेदन को जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वे कालातीत हो जाएंगे। बाद की तारीख में दावे प्रस्तुत करने के लिए विलंब कटौती के प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होंगे।</td><td>दिनांक 07.03.2022 से कतिपय स्क्रिप आधारित दावों और लागू विलंब कटौती के लिए ऐसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इस प्रकार होगीः–
<table>
<tr><th>स्कीम</th><th>आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि</th><th>विलंब कटौती यदि अंतिम तिथि तक जमा किया जाता है जैसा कि कॉलम 2 में दर्शाया गया है
(स्कीम के अन्तर्गत पात्रता के प्रतिशत के रूप में)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td></tr>
<tr><td>(i) एमईआईएस (01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिऐं)</td><td>30.04.2022</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>(ii) 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन (एफटीपी के पैरा 3.25 के तहत – केवल 01.01.2020 से 31.03.2020 की अवधि में किए गए निर्यातों के लिए)</td><td>30.04.2022</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>(iii) आरओएससीटीएल (07.03.2019 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यातों के लिए)</td><td>15.03.2022</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>(iv) आरओएसएल (06.03.2019 तक किए गए निर्यातों जिनके लिए स्क्रिप तंत्र के अधीन अब तक दावों का संवितरण नहीं किया गया है)</td><td>15.03.2022</td><td>शून्य</td></tr>
</table>
निर्धारित अंतिम तिथि (उपर्युक्त के अनुसार) के बाद कोई और आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसे आवेदन कालातीत हो जाएंगे। इसके बाद में दावे प्रस्तुत करने के लिए विलंब कटौती के प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होंगे।</td></tr>
</table>

2. <u>इस अधिसूचना का प्रभावः</u> एमईआईएस (01.04.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि में किए गए निर्यात के लिए), आरओएससीटीएल, आरओएसएल और 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन (एफटीपी के पैरा 3.25 के अधीन केवल 01.01.2020 से

31.03.2020 तक की अवधि में किए गए निर्यात के लिए) के तहत आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया गया है। 5000 करोड़ रुपये के आवंटन के संबंध में अधिसूचना संख्या 30 दिनांक 01.09.2020 के तहत यथा अधिसूचित प्रावधानों को हटा दिया गया है।

[फा. सं. 01/61/180/288/एएम20/पीसी–3 (पार्ट 1)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2022

No. 58/2015-2020

Subject: Extension of last date for submission of applications under certain Scrip based Schemes

S.O. 1012(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy 2015-20, as notified vide Notification No. 30 dated 01.09.2020 and Notification No. 53 dated 01.02.2022 with immediate effect, as below:

1. Amendment in Para 3.04 A of FTP 2015-20, as notified vide Notification No. 30 dated 01.09.2020:

Existing Para 3.04A	Amended Para 3.04A
The total reward which may be granted to an IEC holder under the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) shall not exceed Rs. 2 Crore per IEC on exports made in the period 01.09.2020 to 31.12.2020 [period based on Let Export Order (LEO) date of shipping bill(s)]. Any IEC holder who has not made any export with LEO date during the period 01.09.2019 to 31.08.2020 or any new IEC obtained on or after 01.09.2020 would not be eligible for submitting any claim for benefits under MEIS for exports made with effect from 01.09.2020. The aforesaid ceiling may be subject to further downward revision to ensure that the total claim under the Scheme for the period (01.09.2020 to 31.12.2020) does not exceed the allocation prescribed by the Government, which is Rs 5,000 Cr.	The total reward which may be granted to an IEC holder under the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) shall not exceed Rs. 2 Crore per IEC on exports made in the period 01.09.2020 to 31.12.2020 [period based on Let Export Order (LEO) date of shipping bill(s)]. Any IEC holder who has not made any export with LEO date during the period 01.09.2019 to 31.08.2020 or any new IEC obtained on or after 01.09.2020 would not be eligible for submitting any claim for benefits under MEIS for exports made with effect from 01.09.2020.

2. Amendment in Para 3.13A of FTP 2015-20:

Existing Para 3.13 A	Amended Para 3.13A
In supersession of the existing laid down provisions in the Hand Book of Procedures, 2015-20 with regard to last date for submitting online applications for	With effect from 07.03.2022, the last date for submission of online applications for certain scrip based Schemes and applicable late cut on such applications would be :

scrip based claims, the last date for submitting online applications stands revised to 28th February 2022 the following schemes i.e.

i. for MEIS (for exports made in the period (s) 01.07.2018 to 31.03.2019, 01.04.2019 to 31.03.2020 and 01.04.2020 to 31.12.2020),

ii. for SEIS (for service exports rendered for FY 18-19 and FY 2019-20),

iii. for 2 % additional ad hoc incentive (under para 3.25 of the FTP – for exports made in the period 01.01.2020 to 31.03.2020 only)

iv. for ROSCTL (for exports made from 07.03.2019 to 31.12.2020) and

v. for ROSL (for exports made upto 06.03.2019 for which claims have not yet been disbursed under scrip mechanism).

After **28.02.2022**, no further applications would be allowed to be submitted and they would become time-barred. Late cut provisions shall also not be available for submitting claims at a later date.

Scheme	**Last date of submission of Application**	**Late Cut if submitted till the last date as in column 2 (as % age of Entitlement under the scheme)**
(1)	(2)	(3)
(i) MEIS (for exports made in the period 01.04.2020 to 31.12.2020)	30.04.2022	Nil
(ii) 2 % additional ad hoc incentive (under para 3.25 of the FTP – for exports made in the period 01.01.2020 to 31.03.2020 only)	30.04.2022	Nil
(iii) ROSCTL (for exports made in the period 07.03.2019 to 31.12.2020)	15.03.2022	Nil
(iv) ROSL (for exports made upto 06.03.2019 for which claims have not yet been disbursed under scrip mechanism)	15.03.2022	Nil

No further applications would be allowed to be submitted after the prescribed last date (as above) as they would become time-barred. Late cut provisions shall also not be available for submitting claims thereafter.

Effect of this Notification: The last date for submitting applications under MEIS (for exports made in the period - 01.04.2020 to 31.12.2020), ROSCTL, ROSL and 2% additional ad hoc incentive (under para 3.25 of FTP, only for exports made in the period 01.01.2020 to 31.03.2020) has been extended . The provisions as notified vide Notification No. 30 dated 01.09.2020 with regard to allocation of Rs 5,000 Cr. stand omitted.

[F. No. 01/61/180/288/AM20/PC3 (Part-1)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA